राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मुरली बनाम प्रभात हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/04/2026	368/2024 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती तकासमा एवम स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके उपरान्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01/07/2019 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/12/2021 पारित करते हुये उभयपक्षों को ता-फैसला मूल वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत आराजी अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट्स की सहखाते की आराजी है एवं प्रत्येक सहखातेदार का प्रश्नगत भूमि के प्रत्येक इन्च भूमि पर काबिज होने की अवधारणा कानून में निहित है | ऐसी स्थिति में सहखातेदारों की भूमि के विधिक विभाजन तक किसी भी सहखातेदार को उनकी कब्जे की आराजी के स्वतन्त्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त जिस परिवारिक बंटवारा दिनांक 27/06/1977 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद पेश किया गया है, उसका निस्तारण साक्ष्य-सबूत के आधार पर वाद के अन्तिम निस्तारण के वक्त होना शेष है | ऐसी स्थिति में एक रिकार्डेड सहखातेदार को उसकी सहखाते की आराजी के सन्दर्भ में प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होते है | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मुरली बनाम प्रभात

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	368/2024 अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/12/2021 न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	